प्र.सं. .... / वाद / प्र.पत्र / ....

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	
13/8/20[illegible]	[illegible] प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। [illegible] अवलोकन कार्यवाही हेतु [illegible] पेश हो।
[illegible]	पत्रावली पेश हुयी। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि खं० सं० 589/68 रकबा 14 बीघा वाके ग्राम छपावदा में स्थित है, कृषि भूमि के नामान्तकरण सं0 1086 से दो टुकडो में विभाजित कर दिया तथा नवीन खं० सं० 589/68 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा तथा खं0 सं0 893/68 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा कायम किये गये। किन्तु उक्त दोनो खसरा नम्बरान को पूर्व में चले आ रहे अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम नही कर गलत तरमीम कर गलत इन्द्राज कर दिया। नवीन खं0 नं0 893/68 पर प्रार्थी का कब्जा नही है बल्कि मौके पर काबिज स्थिती से काफी दूर है। प्रार्थी मौके पर 14 बीघा जमीन पर काबिज है परन्तु राजस्व रिकार्ड में 8 बीघा 10 बिस्वा ही राजस्व नक्शे में तरमीम किये। उक्त जानकारी प्रार्थी को उक्त भूमि के नामान्तकरण की नकल से जानकारी हुयी। अतः श्रीमान से निवेदन है कि नामान्तकरण सं0 1086 के माध्यम से किये गये नवीन नम्बर 589/68 व 593/68 की तरमीम को निरस्त कर वर्तमान भौतिक स्थिति के अनुसार तरमीम शुद्ध करने का निवेदन किया। पेशकार सरकार ने दौराने बहस तहसीलदार तालेडा से प्राप्त रिकार्ड के आधार पर निवेदन किया कि वाद वर्णित खसरा सं0 का मूल खं0 नं0 जो कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार 7 भागो में विभक्त है। उक्त विभाजन राजस्व रिकार्ड में विभाजन आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा के आदेश क्रमांक 2666 दिनांक 12.09.2019 की पालना में जर्ये नामान्तकरण सं0 1086 द्वारा किया गया। जो कि अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल0आर0 एक्ट के तहत पोषणीय नही होने से खारिज योग्य है। बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वाद वर्णित आराजी का मूल खसरा सं0 68 था जो कि राजस्व रिकार्ड में विभाजन आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा के आदेश क्रमांक 2666 दिनांक 12.09.2019 की पालना में जर्ये नामान्तकरण सं0 1086 द्वारा किया गया। उक्त नामान्तकरण के आधार पर ही तत्समय तरमीम की गयी। चूंकि उक्त विभाजन न्यायालय आदेश से किये जाने के पश्चात यदि कोई आपत्ति खातेदारान के मध्य थी तो तत्समय ही दौराने बहस प्राथमिक डिक्री में आक्षेप पेश करते किन्तु वादी द्वारा आक्षेप किये जाने का कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है और प्राथमिक डिक्री को अन्तिम डिक्री के रुप में निष्पादित करते हुये निर्णय पारित किया गया। उक्त तरमीम न्यायालय आदेश द्वारा की गयी। जो की अन्तर्गत धारा 131,136 एल0आर0 एक्ट के तहत निहित प्रावधानों में पोषणीय नही है। अतः प्रार्थी द्वारा वांछित अनुतोष अन्तर्गत धारा 131,136 एल0आर0एक्ट के तहत पोषणीय नही होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।